**EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II—SEC. 3, SUB-SEC. (i)**

Appearing on Page No. 2059—2070

Dated 23-6-2001

**अधिसूचना**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )**

नई दिल्ली, 12 जून, 2001

**सा. का. नि. 330.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह भर्ती नियम, 1981 को जिसका संबंध महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह के पद से है उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाईन और व्यापार चिन्ह के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाईन और व्यापार चिन्ह भर्ती नियम, 2001 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :**— वह व्यक्ति—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह | 1*(2000)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | 18400-500 22400 रुपये | लागू नहीं होता | पचास वर्ष से अनधिक | हां |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| **आवश्यक :**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री या धातुकर्म विज्ञान/प्रौद्योगिकी/इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।<br>(ii) मूल वैज्ञानिक अनुसंधान के अभिलेख और प्रकाशित कागज पत्रों सहित (प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए) पंद्रह वर्ष का अनुसंधान अनुभव जिसमें पांच वर्ष का प्रशासन का अनुभव भी सम्मिलित होगा या किसी औद्योगिक और /या इंजीनियरी संगठन में प्रबंधकीय क्षमता में पंद्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें पांच वर्ष का प्रशासन का अनुभव भी सम्मिलित होगा या पेटेंट कार्यालय/व्यापार चिह्न /भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में प्रबंधकीय क्षमता में पंद्रह वर्ष का अनुभव (जिसमें पांच वर्ष का प्रशासन अनुभव भी सम्मिलित होगा)।<br>**टिप्पणी :**<br>(1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।<br>(2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।<br>**वांछनीय :**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में भौतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र में डाक्टर की डिग्री या संबंधित विषय में धातुकर्म विज्ञान/इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।<br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि की डिग्री या समतुल्य। | आयु: नहीं<br>शैक्षिक अर्हता : हां | सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| **प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति :**<br>(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | **प्रतिनियुक्ति :** — (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है):<br>1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—<br>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या<br>(ii) जिन्होंने 16400—20900 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है, या |

(iii) जिन्होंने 14300—18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास सीधी भर्ती किए गये व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

2. ऐसे विभागीय ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक, पेटेंट और डिजाइन संबंध में जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उनमें से किसी का इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| 13 | 14 |
| 1. सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — अध्यक्ष<br>2. अपर सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — सदस्य | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[सं. 8/59/98-पी. पी. एण्ड सी.]

राजीव रंजन, निदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 12th June, 2001

**G.S.R. 330.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks [class I and II (Gazetted) posts] Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, namely :—

**1. Short title and commencement :**—(1) These rules may be called the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay :**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.** :—The method of Recruitment to the post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of Post | Number of post | Classification | Scale of pay | Whether Selection or Non-Selection post | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Controller General of Patents, Designs and Trade Marks | 01* (2001) *Subject to variation dependent on workload. | GCS Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 18400-500-22400 | N.A. | Not exceeding 50 years | Yes |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promoters | Period of probation if any | Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Essential :** (i) Master's Degree in Physics/ Chemistry or Degree in Metallurgy/Technology/ Engineering of a Recognised University or Equivalent. (ii) 15 years research experience with record of original scientific research and published paper (evidence to be furnished) including 5 years administrative experience or 15 years practical experience in managerial capacity in an Industrial and or Engineering Organisation including 5 years administrative experience or | Age : No<br>Edu. Qual. : Yes | 1 year for direct recruit. | Promotion/Deputation (including Short-term Contract) failing which by direct recruitment. |

15 years in managerial capacity in Patent Office/Trade Marks/ Geographical Indication Registry including 5 years administrative experience.

**Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

**Desirable :**

(i) Doctorate Degree in Physics/ Chesmistry or Master's Degree in Metallurgy/Engineering/Technology in the subject concerned of a recognised university or equivalent.

(ii) Degree in Law of a recognised university or equivalent.

| In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which the promotion/deputation/ absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is the composition | Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| Deputation (including short term contract)<br>I. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Universities/ Recognised Research Institutions/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisation :—<br>(a)(i) : Holding analogous posts on regular basis; or<br>(ii) with two years regular service in posts in the Scale of Rs., 16400-20900 or equivalent; or<br>(iii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 14300-18300 or equivalent; and<br>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 8.<br>II. The departmental Senior Joint Controller of Patents and Designs with two years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he/she is | 1. Secretary, Ministry of Commerce & Industry—Chairman<br>2. Additional Secretary, Ministry of of Commerce & Industry—Member | Consultation with UPSC necessary on each occasion. |

selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Govt. shall not exceed five years.

The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of apaplications).

---

[No. 8/59/98-PP&C]

RAJEEV RANJAN, Director

नई दिल्ली, 12 जून, 2001

**सा. का. नि. 331.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग के नियंत्रणाधीन महानियंत्रक पेटेन्ट डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय के अधीन पेटेन्ट कार्यालय में (ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक) पेटेन्ट और डिजाइन, समूह (क) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पेटेंट कार्यालय (ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे/इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **भर्ती बोर्ड** : भर्ती बोर्ड में संयुक्त सचिव (प्रशा.) औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग अध्यक्ष के रूप में महानियंत्रक पेटेंटस डिजाइन और व्यापार चिह्न सदस्य के रूप में जिसके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य संगठनों से समुचित स्तर के दो या अधिक विशेषज्ञ होंगे और समुचित प्रास्थिति का एक सदस्य पेटेन्ट कार्यालय से या केन्द्रीय सरकार के अधीन मंत्रालय/विभाग से चुना जाएगा।

बोर्ड का अध्यक्ष अपनी शक्तियां पेटेंट कार्यालय के उस पद के संबंध में जिसके लिए भर्ती की जानी है समुचित प्रास्थिति के अधिकारी को उस विशिष्ट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसुची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन सह ज्येष्ठता अथवा अचयन | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन | 1*<br>(2001) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क राजपत्रित (अननुसचिवीय) | 16400-450-20900 रु. | योग्यता के आधार पर चयन | 50 वर्ष से अधिक नहीं<br>केन्दीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल कर सकती है।<br>**टिप्पणी** :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। | नहीं |

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| (i) भौतिकी/रसायन/जैव रसायन/सूक्ष्मजीव विज्ञान/आणविक जीवविज्ञान जैव प्रौद्योगिकी/जैव भौतिकी में मास्टर डिग्री, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी/इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।<br>(ii) मूल अनुसंधान के अभिलेख उत्तर प्रकाशित पत्रों सहित 15 वर्ष का अनुसंधान अनुभव तथा पेटेंट प्रक्रियाओं का ज्ञान जिसमें पेटेंट विशिष्टियों का प्रारूपण भी सम्मिलित है, या<br>किसी औद्योगिक या इंजीनियरी संगठन में पर्यवेक्षीय प्रास्थिति में | आयु : नहीं<br>अर्हता : हां | सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

15 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव और पेटेंट प्रक्रियाओं जिसमें पेटेंट विशिष्टियां भी सम्मिलित है का ज्ञान, या
पेटेंट कार्यालय में पर्यवेक्षीय प्रास्थिति में 15 वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण : 1**—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण : 2**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर भर्ती बोर्ड चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रोन्नति : ऐसा संयुक्त नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है,<br>या ऐसा संयुक्त निदेशक पेटेंट और डिजाइन जिसने संयुक्त नियंत्रक पैटेंट और डिजाइन और उप नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन और उपनियंत्रक पेटेंट और डिजाइन की श्रेणी में सात वर्ष सम्मिलित सेवा की है। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| 13 | 14 |
| समूह क विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :—<br>(i) सचिव औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग —अध्यक्ष<br>(ii) संयुक्त सचिव प्रशासन, औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग —सदस्य<br>(ii) महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न —सदस्य | लागू नहीं होता |

[फा. सं. 8(48)/2000 पीपी एंड सी]

राजीव रंजन, निदेशक

**टिप्पण :** पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

New Delhi, the 12th June, 2001

**G.S.R. 331.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Joint Controller of Patents and Designs (Grade 'A') in Patent Office under the Office of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, under the control of Department of Industrial Policy and Promotion, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Ministry of Commerce and Industry in the Patent office (Senior Joint Controller) Recruitment Rules, 2001. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment relating to the said post, age limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule. 4. **Disqualification.**— No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Recruitment Board.**—Recruitment Board shall be constituted with Joint Secretary (Admn.), Department of Industrial Policy and Promotion as Chairman, Controller General of Patents, Designs and Trade Marks as Member along with 2 or more experts of the appropriate level from other organizations in the field of Science & Technology and one Member of appropriate status will be selected from Patent Office or from the Ministry/Department under Central Government. Chairman of the Board may delegate his power to any official of the Patent Office having appropriate status in relation to the post to which the recruitment is to be made to function as Chairman to that particular Board.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the Post | Number of post | Classification | Scale of pay | Whether Selection by merit or Selection-cum-seniority post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Senior Joint Controller of Patents and Designs | 1* (2001) *Subject to variation dependent upon the workload. | General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 16,400-450-20,900 | Selection by merit | Not exceeding 50 years<br>Note 1 : Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions issued by the Central Government.<br>Note 2 : The Crucial date for determining age limit shall be the date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakhsadweep). |

| Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Yes | (i) Master's Degree in Physics/ Chemistry/Bio-Chemistry/Micro-biology/Molecular Biology/ Bio-Technology/ Bio-Physics<br>OR<br>Degree in Technology/Engineering of a Recognised University or equivalent<br><br>(ii) 15 years research experience with record of original research and published papers and knowledge of patenting procedures including drafting of patenting specifications.<br>OR<br>15 years practical experience in a supervisory capacity in an industrial or engineering organization and knowledge of patenting procedures including drafting of patenting specifications<br>OR<br>15 years experience in supervisory capacity in Patent Office<br><br>Note 1 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the recruitment Board in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates, if the Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualifications are not likely to be available to fill up the vacancies | Age : No<br>Qualifictions : Yes | Two years for direct recruits. | Promotion failing which by deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment. |

reserved for them.

| In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which the promotion/deputation/ transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be con-sulted |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| Promotion : Joint Controller of Patents and Designs, with two years regular service in the grade<br><br>Or<br>Joint Controller of Patents and Designs with seven years combined service in the grade of Joint Controller of Patents and Designs and Deputy Controller of Patents and Designs. | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) :—<br><br>(i) Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion—Chairman<br>(ii) Joint Secretary, Administration, Department of Industrial Policy and Promotion—Member<br>(iii) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks—Member | Not applicable |

[F. No. 8(48)/2000-PP&C]

RAJEEV RANJAN, Director

**Note :**— The proceedings of Departmental Promotion Committee shall be sent for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

MGIPRRND—1853 C&I/2001—100